2022/191,2022/190

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

1. प्रकरण संख्या 75/2022 (उदयपुर डिक्री)

1. लाला पिता रोडा जी गाडरी मृतक के बजाय :–

1/1. नारायण पिता लाला जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती मांगी (पिता लाला जी) पत्नी उदा जी गाडरी, निवासी साकरिया खेड़ी, गाडरियावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती गणेशी (पिता लाला जी) पत्नी बाबुलाल जी गाडरी, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती लोगी (पिता लाला जी) पत्नी रामलाल जी गाडरी, निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती शम्भु (पिता लाला जी) पत्नी रूपलाल जी गाडरी, निवासी वासनी कलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. श्रीमती नौजी बेवा लाला जी गाडरी, निवासी साकरिया खेड़ी, गाडरियावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. भग्गा पिता रोड़ा जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. मोती पिता रोड़ा जी गाडरी मृतक के बजाय :–

3/1. श्रीमती जेतु बेवा मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. श्रीमती भगू पिता मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. गणेश पिता मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर

3/4. राजू पिता मोती जी गाडरी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जेतु बेवा मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3/5. सुश्री कृष्णा पिता मोती जी गाडरी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जेतु बेवा मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3/6. सुश्री मीना पिता मोती जी गाडरी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जेतु बेवा मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

4. श्रीमती मोती (पिता रोड़ा जी) पत्नी रामा जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता केला जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. मु. केशी बेवा केला जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:27 IST
Reason: SelfAttested

2. <u>प्रकरण संख्या 76/2022 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. लाला पिता रोडा जी गाडरी मृतक के बजाय :—

1/1. नारायण पिता लाला जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती मांगी (पिता लाला जी) पत्नी उदा जी गाडरी, निवासी साकरिया खेड़ी, गाडरियावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती गणेशी (पिता लाला जी) पत्नी बाबुलाल जी गाडरी, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती लोगी (पिता लाला जी) पत्नी रामलाल जी गाडरी, निवासी चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/5. श्रीमती शम्भु (पिता लाला जी) पत्नी रूपलाल जी गाडरी, निवासी वासनी कलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

1/6. श्रीमती नौजी बेवा लाला जी गाडरी, निवासी साकरिया खेड़ी, गाडरियावास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2. भग्गा पिता रोड़ा जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. मोती पिता रोड़ा जी गाडरी मृतक के बजाय :—

3/1. श्रीमती जेतु बेवा मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3/2. श्रीमती भगू पिता मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3/3. गणेश पिता मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर

3/4. राजू पिता मोती जी गाडरी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जेतु बेवा मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3/5. सुश्री कृष्णा पिता मोती जी गाडरी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जेतु बेवा मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3/6. सुश्री मीना पिता मोती जी गाडरी, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती जेतु बेवा मोती जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

4. श्रीमती मोती (पिता रोड़ा जी) पत्नी रामा जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

4. भैरूलाल पिता केला जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर

5. मु. केशी बेवा केला जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:27 IST
Reason: SelfAttested

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राज.का..अधि.
1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
मावली प्रा.डिक्री दि॰ 22.04.22 व अंतिम
डिक्री दि॰ 04.08.22 प्र. सं. 61/2006

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :— 1. श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 2
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 27—09—2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेमपुर में स्थित आराजी नंबर 773 से 781 कुल किता 9 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। भूमि शामलाती होने से ऋण आदि में असुविधा होती है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर खाते अलग—अलग दर्ज किये जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 22—04—2022 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 04—08—2022 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22—04—2022 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा अपील संख्या 75/2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04—08—2022 के विरूद्ध अपील संख्या 76/2022 इस न्यायालय में दिनांक 31—10—2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:27 IST
Reason: SelfAttested

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 61/2006 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय किया जा रहा हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

वकील अपीलान्ट ने दोनों ही अपीलों के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये तथा निवेदन किया कि अपीलान्टगण ग्रामीण परिवेश के होकर अनपढ़ काश्तकार है तथा कानून की जानकारी नहीं रखते है। उनके अधिवक्ता ने उन्हें निर्णय व डिक्री की सूचना नहीं दी। आप न्यायालय में केविटट प्रस्तुत होने पर उसकी रजिस्टर्ड ए.डी. से सूचना मिलने से अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा नकलें प्राप्त कर दोनों अपीलें अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी हैं। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपीलें अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया है तथा अपीलान्ट संख्या 3/3 से 3/7 नाबालिग है, जिसकी सुरक्षा के लिए न्यायालय द्वारा कोर्ट वली मुक्करर किया गया, कोर्ट वली ने भी नाबालिग के हित में पैरवी करने में असमर्थता जाहिर की, ऐसी स्थिति में कोर्ट वली नियुक्त कर कार्यवाही किया जाना आवश्यक था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी कर निर्णय पारित किया है। कथित निर्णय में लाला का नाम अंकित है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी की गयी है। कब्जे बाबत् वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री कर दिया। बंटवारा सूची बनाने से पूर्व अपीलान्टगण को कोई सूचना नहीं दी गयी है तथा बंटवार प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मन माफिक तैयार किया गया है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22–04–2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04–08–2022 निरस्त किये जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 201[illegible] Page 258, RBJ (17) 2010 Page 649,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:27 IST
Reason: SelfAttested

RRT 2010 (1) Page 173, RRD 1999 Page 173, RRD 1998 Page 319, RRT 2022 (1) Page 988 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए दोनों अपीलें खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वारा पूर्व में इन्हीं आराजियात बाबत् घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 25–11–2005 को खारिज हो गया, जिसकी अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर दिनांक 13–09–2006 को अपील खारिज की गयी, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट माननीय राजस्व मण्डल में गये तथा वहां से भी 18–07–2019 को अपील खारिज कर दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के 1/2 हिस्से के रेकार्डेड खातेदार होने के आधार पर उनका विभाजन का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की, जिसमें वादीगण को 3.2455 हैक्टर तथा प्रतिवादीगण को भी 3.2455 हैक्टर अर्थात दोनों पक्षकारों को समान रकबा दिया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में जो न्यायिक नजीरें वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से लागू नहीं होते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार उक्त दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22–04–2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04–08–2022 यथावत रखी जाती हैं। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

लाला के बजाय नारायण पिता लाला गाडरी, निवासी खेमपुर, तह0 मावली, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	भैरूलाल पिता केला जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं......76/2022........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
...........मावली.......... मुकाम................मुवर्खे.........22...........माह...............04..............2022.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........27..........माह.............09.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान
व हाजरी.............श्री खेमराज डांगी............मिनजानिब अपीलान्ट व............श्री संजय बोहरा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22–04–2022 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)..........रूपये .... X.......
...
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............27.............माह............09..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:27 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

लाला के बजाय नारायण पिता लाला गाडरी, निवासी खेमपुर, तह0 मावली, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	भैरूलाल पिता केला जी गाडरी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं......75/2022........व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
...........मावली.......... मुकाम................मुवर्खे.........04............माह...............08..............2022.........................

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........27..........माह.............09.......सन् 2023 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी.............श्री खेमराज डांगी............मिनजानिब अपीलान्ट व............श्री संजय बोहरा

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 04–08–2022 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X............)..........रूपये .... X.........
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख............31.............माह............08..............2023 को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:54:27 IST
Reason: SelfAttested